न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति (अ0नि0) अधि0 न्यायालय कक्ष संख्या–2,इटावा।
उपस्थित **हुसैन अहमद अंसारी,** एच0जे0एस0

राज्य बनाम शिवकेश आदि
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–102/2019
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0ई0डब्लू0–01–005674–2019
धारा–323,504,506,भा0द0संहिता एवं
धारा–3(1)(आर)व (एस) एसएससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट,
अ0सं0 133/18
थाना बकेवर, जिला इटावा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष के मामले का वर्णन किया, और अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का विवरण देते हुए उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जिनसे अभियुक्तगण के दोष को सिद्ध करने की प्रस्थापना उनके द्वारा की गयी है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के बिन्दु पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/ सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण शिवकेश,योगेश एवं अनिल के विरूद्ध धारा 323/34,504,506, भा0 दं0 संहिता एवं 3(2)(5ए), 3(1)(आर) व (एस) एससी /एसटी (पी0ए0) एक्ट के अन्तर्गत अपराध का मामला प्रथम दृष्टया गठित होता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दि0 04.03.2020 विशेष न्यायाधीश,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति
(अ0नि0)अधि0/न्यायालय कक्ष सं0–2,इटावा।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष अपनी समस्त साक्ष्य दिनांक **27.03.2020** को पेश करे।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दि0 04.03.2020 विशेष न्यायाधीश,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति
(अ0नि0)अधि0/न्यायालय कक्ष सं0–2,इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति (अ0नि0) अधि0 न्यायालय कक्ष संख्या–2,इटावा।

उपस्थित **हुसैन अहमद अंसारी,** एच0जे0एस0

राज्य बनाम शिवकेश आदि
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–102/2019
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0ई0डब्लू0–01–005674–2019
धारा–323,504,506,भा0द0संहिता एवं
धारा–3(1)(आर)व (एस) एससएससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट,
अ0सं0 133/18
थाना बकेवर, जिला इटावा।

आरोप

मैं, **हुसैन अहमद अंसारी,** विशेष न्यायाधीश, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति (अ0नि0)अधि0 न्यायालय कक्ष संख्या–2,इटावा में आप अभियुक्तगण शिवकेश,योगेश एवं अनिल पर निम्न आरोप विरचित करता हूँ ।

प्रथम– यह कि दिनांक 20.02.2018 को समय करीब 4.00बजे शाम बहद स्थान जी एस ईंट भट्टा उझियानी अन्तर्गत थाना क्षेत्र बकेवर जिला इटावा में आप लोगों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर कर स्वेच्छया वादी राममिलन को अनुसूचित जाति का जानते हुए लाठी,डण्डों व तमंचों की बट से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया जो धारा–323/34 भा0द0संहिता(अनुसूचित अपराध) सपठित धारा– 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप ने उक्त वादी राम मिलन को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गालियॉ देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया जो धारा 504 भा0द0संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त हैं ।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने उक्त वादी राम मिलन को अनुसूचित जाति का जानते हुए,जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रांस कारित किया। इसप्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया जो धारा–506 भा0द0संहिता (अनुसूचित अपराध) सपठित धारा–3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी राम मिलन,जो कि अनुसूचित धानुक जाति के सदस्य है और आप गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उसको जनता के दृष्टिगोचर में जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करते हुए अपमानित किया। इसप्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया जो धारा 3(1)(आर) व (एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा जिसके संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं आदेशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दि0 04.032020

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति
(अ0नि0)अधि0/न्यायालय कक्ष सं0–2,इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की ।

दि0 04.03.2020

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति
(अ0नि0)अधि0/न्यायालय कक्ष सं0–2,इटावा।

सीएमएम